हत्या तो हत्या है, चाहे सम्मान के नाम पर हो चाहे अपमान के

हम सबला का यह अंक उस समय आया है जब रोज़ाना सम्मान जनित हत्या की एक खबर हमारे सामने आ रही है। ये खबरें सिर्फ़ सामंतवादी "गऊ-पट्टी" राज्यों के देहाती इलाकों के तथाकथित पिछड़े समुदायों से नहीं बल्कि शहरी-भारत के दिल - दिल्ली व महानगरों से आ रही हैं जो आज देश में चल रही गर्मा-गर्म बहसों का केंद्र हैं और जहां नागरिक समाज व राजनीति में सशक्त आवाज़ें तथा मीडिया इस मुद्दे पर अलग-अलग पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस वर्ष जून में शक्तिवाहिनी महिला संगठन की याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से सम्मान जनित हत्याओं के मुद्दे पर जवाबदेही मांगी थी। अदालत जानना चाहती थी कि परिवारों और समुदायों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे युवा जोड़ों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश परिवारों, रिश्तेदारों व समुदाय के सदस्यों द्वारा खाप पंचायत फतवों के तहत की जाने वाली युवा दम्पतियों की हत्या के जवाब में जारी किया गया था- वो हत्याएं जो समुदाय की 'शुद्धता' की सुरक्षा व 'कुल की प्रतिष्ठा' वापस लौटाने के लिए ज़रूरी समझी जा रही थीं। इनमें से अधिकांश हत्याओं की खबरें उत्तरी भारतीय राज्यों- हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान से आ रही थीं।

इन हत्याओं पर उठ रहे सार्वजनिक बवाल ने हमारे इस विश्वास की धज्जियां उड़ा दीं कि सम्मान के नाम पर हत्याएं भारत में नहीं होतीं- तथा ये उस प्रतिगामी मानसिकता का नतीजा है जिसे विकास और प्रगति की राह पर बढ़ता भारत व भारतवासी पीछे छोड़ चुके हैं। कट्टरपंथी हिन्दू संगठनों ने तो पाकिस्तान से आने वाली 'कारो-कारी' की खबरों की निंदा करते हुए यह भी संतोष ज़ाहिर कर डाला कि "इस तरह की घटिया बातें हिन्दू भारत में हो ही नहीं सकतीं जहां औरतों को देवीतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती रही है।"

खैर देर से ही सही हमारी आंखों पर चढ़ा रंगीन चश्मा अब उतर चुका है। अब तो भारतीय 'प्रगति' का गुणगान और बदसूरत सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश करने वाला मीडिया भी तथाकथित पिछड़े राज्यों व ग्रामीण इलाके से ही नहीं बल्कि हमारे जगमगाते वैश्विक शहरों दिल्ली व मुंबई से भी आने वाली इन हत्याओं की वारदातों पर हैरत व अफ़सोस व्यक्त कर रहा है।

नारीवादियों के अनुसार हर संस्कृति व इतिहास में परिवार की इज़्ज़त महिलाओं की यौनिकता व शरीर पर केंद्रित रही है। समुदाय का मान उसकी औरतों की 'शुचिता' पर टिका है और इसे बचाये रखने के

लिए 'अनधिकृत' पुरुषों से शरीर को दूर रखा जाना चाहिए। औरतों पर समुदाय की इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए अपनी बेटियों व खुद की पवित्रता को बचाकर रखने की ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है और इसके तथाकथित खोने पर इसे वापस लौटाने की ज़िम्मेदारी सदैव समुदाय के पुरुष उठाते हैं।

हम इस सच से दूर नहीं भाग सकते कि सम्मान और शुचिता के ये विचार भी हमारे सामाजीकरण का हिस्सा हैं। ये नैतिकता, संस्कृति और मर्यादा के हमारे मानदण्डों से भी संबद्ध हैं। हत्याओं का विरोध करने वाले कई लोग भी खाप को एक विध्वंसात्मक विमुखी समाज को स्थिरता प्रदान करने की सामाजिक भूमिका पूरी करते हुए देखते हैं। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि सम्मान अपने आप में एक सकारात्मक मूल्य है जो हमारे कई प्राचीन समाजों का महत्वपूर्ण नियम रहा है। कई दूसरे ऐसे भी हैं जो खाप पर होने वाले हमलों को उस नव-उदारवादी वैश्विकता के एक लक्षण के रूप में देखते हैं जिसमें बगैर सोचे-समझे अपने समाज की परम्पराओं और रिवाजों को व्यक्तिगत उपभोक्तावाद की वेदी पर बलि चढ़ा दिया जाता है। और एक अन्य पक्ष उनका भी है जो सगोत्र विवाहों पर खाप प्रतिबंध को विज्ञान के आधार पर वैध ठहराते हैं।

पर खाप व विश्व में उनके जैसे सामाजिक संस्थानों का सम्मान, परम्परा व संस्कृति के सकारात्मक मानकों से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि इस अंक में शामिल लेखों में स्पष्ट उभरकर आता है सम्मान की खातिर की गई हत्याएं सिर्फ़ अवैध, कत्ल हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। इनके लिए उस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है जहां मानव अधिकार हर व्यक्ति का पैदाइशी हक़ है, जहां ताकत की जगह कानून का राज चलता है, जहां बदले से अधिक अहमियत न्याय को दी जाती है और झगड़ों के समाधान के लिए हिंसा का इस्तेमाल गैरकानूनी ठहराया जाता है।

जहां तक सगोत्र विवाहों पर खाप के प्रतिबंध के तथाकथित विज्ञानी आधार का सवाल है तो यह दावा उतना ही सही है जितना कि कोई खास फल के सेवन या किसी शुभ मुर्हूत पर यौन संबंध बनाने से बेटा पैदा होने की संभावना। हर गोत्र के साझे पूर्वज शायद द्वापर युग या उसके पहले के समय में बसते थे- यानी तीस हज़ार साल पहले (दूसरे शब्दों में कहें तो मानव सभ्यता के विकास पूर्व)। अगर कुछ भी न मानें तो यह तो है ही कि सामान्य जनसंख्या के बीच इस लम्बे समय में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से गोत्र के अंतर्गत इतनी अधिक आनुवांशिक विविधताएं पैदा होंगी कि यह दावा करना कि करोड़ों लोग एक ही बड़े परिवार के सदस्य हैं अविश्वसनीय है।

इसके अलावा विश्व में किये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि उन दम्पतियों के बच्चे जिनके माता-पिता एक ही वंशावली से संबंध नहीं रखते तथा सामान्य जनसंख्या की संतानों के बीच आनुवांशिक असमानताओं व अन्य समस्याओं के स्तर में कोई विशेष फ़र्क़ नहीं है। इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इम्यूनॉलॉजी, नई दिल्ली के जाने-माने आनुवांशिक विशेषज्ञ डॉ. सत्यजीत रथ के अनुसार, "आनुवांशिकी गोत्र के निर्माण पर प्रश्न उठाती है। ऐसा नहीं है कि यह अशुद्ध विज्ञान है- दरअसल यह तो विज्ञान है ही नहीं।"

हम सबला के इस अंक की शुरूआत हम एक ऐसी कविता से कर रहे हैं जो हृदयस्पर्शी और नितान्त खुले अंदाज़ में सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्याओं की सच्चाई बयान करती है। अंक के बाकी लेख व वृत्तान्त भी इस घृणित अपराध को पनपानेवाले पदानुक्रम, तनाव और दमन के जटिल ताने-बाने के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करते हैं।

कल्याणी मेनन-सेन
नारीवादी कार्यकर्त्ता, शोधकर्त्ता व लेखिका हैं।